समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, शिविर जबलपुर.

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :

प्रस्तुत दिनांक: 7-12-15

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण: १. **प्रदीप कुमार चौकसे**, आत्मज स्वर्गीय भैय्यालालजी चौकसे,

२. **श्रीमती पुष्पादेवी चौकसे**, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौकसे,

--दोनों निवासी १५३२, डॉ० बराट रोड, नैपियर टाउन, जबलपुर.

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
07 DEC 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

उत्तरवादी/आपत्तिकर्ता: १. **अविनाश राय**, आत्मज स्व० कीर्तिभानु राय, निवासी १४११, डॉ० बराट रोड, नेपियर टाउन, जबलपुर

उत्तरवादी/अनावेदक: २. **सुश्री छाया राय**, पुत्री स्व० कीर्तिभानु राय, निवासी ५-ई, पवनसुत अपार्टमेंट, गोरखपुर, जबलपुर.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९

अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-ओमती जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ११/अपील/१३-१४ में पारित आदेश दिनांक २९.१०.२०१५ से परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण निम्नांकित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं:

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 126–एक/16

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.9.16.	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग ओमतील जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 29–10–15 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर कि विक्रय की वैधता के विषय में विवाद है और मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है अतः उन्होंने सिविल न्यायालय से निर्णय होने पर प्रति पेश किये जाने पर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु पेश किए जाने के निर्देश दिये हैं । 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विक्रयपत्र की वैधता को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और ना ही व्यवहार वाद की प्रति अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 को नामांतरण के विरूद्ध आपत्ति लेने या अपील प्रस्तुत करने की कोई locus standi नहीं है । उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदकों की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित न होने	

R 126-5/16 (stamp)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण के संबंध में है । अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन संपत्ति के स्वत्व को लेकर व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कं. 8ए/2009 एवं 4ए/2009 विचाराधीन है और स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा जो राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा । न्यायदृष्टांत 2012 आर0एन0 316 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)–धारा 109 तथा 110 – नामांतरण के विषय में विवाद – हक के प्रश्न पर – सिविल वाद लंबित – सिविल न्यायालय के निर्णय तक –राजस्व न्यायालय के समक्ष नामांतरण कार्यवाही चलाने योग्य नहीं । यह न्यायदृष्टांत 1987 सी.सी.एल.जे. शॉर्ट नोट 65 पर आधारित है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के निर्णय होने के उपरांत उसकी प्रति पेश किए जाने पर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने के जो निर्देश दिए हैं वे न्यायसंगत हैं और उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	